

धारा-107 द0प्र0सं0
सत्र / 2018

मध्यस्थता सं0-
आदेश फलक
वाद संख्या-

396/2017

कोदु रादव का

अपुर्नडी

बनाम

शमकुभ रादव का

अपुर्नडी

08/09/2018

न्यायालय-अनुमंडल दण्डाधिकारी, छतरपुर।

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित, अवलोकन
किया। उभय पक्ष लगातार
अनुपस्थित। इससे प्रतीत होता है
कि इस वाद में उभय पक्ष के बीच
कोई विवाद नहीं है। शांति भंग होने
की सूचना अप्राप्त।

अतः इस वाद को राष्ट्रीय
लोक अदालत के माध्यम से अग्रेतर
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सदस्य

सदस्य

